

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत श्री विजय बहादुर सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित स्थान/जिला में अगले आदेश तक स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :

क्र0	नाम/पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
01	02	03	04	05
01	श्री विजय बहादुर सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	चंदौली, उत्तरप्रदेश	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (विभाग में योगदान की तिथि- 24.09.2024 के अपराहन)	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

2. श्री विजय बहादुर सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.09.2024 के अपराहन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित किया गया है, जिसे योगदान समर्पित की तिथि से स्वीकृत करते हुए नव पदस्थापन स्थान पर योगदान किये जाने के निमित्त विरमित किया जाता है। श्री सिंह को विभाग में योगदान समर्पित करने की तिथि से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री सिंह का बकाया वेतन का भुगतान नव पदस्थापन स्थान से भुगतेय होगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
4. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0 3-स्था0(सहा0जि0आ0पदा0)-02/2024 335 खाद्य, पटना/दिनांक-11/03/2025
प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री विजय बहादुर सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0 3-स्था0(सहा0जि0आ0पदा0)-02/2024 335 खाद्य, पटना/दिनांक-11/03/2025
प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- प्र0 3-स्था0(सहा0जि0आ0पदा0)-02/2024 335 खाद्य, पटना/दिनांक-11/03/2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव कोषांग/सभी प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08(आरोप) तथा आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

अभिमत